राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJBIL/2000/1717
J.P.C./3588/02/2003-05
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

अग्रहायण 10, बुधवार, शाके 1926— दिसम्बर 1, 2004
Agrahayana 10, Wednesday, Saka 1926—December 1, 2004

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 19, 2004

एस.ओ. 251:-सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 34) की धारा 13 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 12 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) और धारा 13 की उप धारा (1) के खण्ड (ख) के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को, उक्त अधिनियम के अधीन प्रदत्त शक्तियों और अधिरोपित कर्तव्यों का उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्रयोग करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

1. समस्त संयुक्त निदेशक (जोन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ।
4. समस्त सहायक औषधि नियन्त्रक ।
5. समस्त औषधि नियन्त्रक अधिकारी ।
6. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) ।
7. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) ।

8. उप निरीक्षक से अनिम्न रैंक के समस्त पुलिस अधिकारी ।

[संख्या प. 1 (29)चिस्वा/ग्रुप-3/96]

राज्यपाल के आदेश से,
गुरचरण सिंह सन्धु,
शासन सचिव ।

MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT (Gr-3)

NOTIFICATION

Jaipur, November 19, 2004

S. O. 251.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 read with sub section (1) of Section 13 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (Central Act No. 34 of 2003), the State Government hereby authorize the following officers to exercise the powers conferred and duties imposed under the said Act, for the purpose of clause (b) of sub Section (1) of Section 12 and clause (b) of sub section (1) of Section 13 of the said Act, within their respective jurisdiction, namely:—

1. All Joint Directors (Zone), Medical & Health Services.
2. All Chief Medical & Health Officers.
3. All Principal Medical Officers.
4. All Assistant Drug Controllers.
5. All drug Control Officers.
6. All Medical Officers in Charge (Community Health Centre).
7. All Medical Officers in Charge (Primary Health Centre).
8. All Police Officers not below the rank of sub-Inspector.

[No. F. 1 (29) M & H/Gr-3/96]

By Order of the Governor,
गुरचरण सिंह सन्धु,
Secretary to the Government.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 19, 2004

एस.ओ. 251–ए:-सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 34) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार उप-निरीक्षक से अनिम्न रैंक के समस्त पुलिस अधिकारियों को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन कार्रवाही करने के लिए इसके द्वारा सक्षम होना प्राधिकृत करती है ।

[संख्या प. 1 (29)चिस्वा/ग्रुप–3/96]

राज्यपाल के आदेश से,
गुरचरण सिंह सन्धु,
शासन सचिव ।

MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT (Gr-3)

NOTIFICATION

Jaipur, November 19, 2004

S. O. 251-A.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (Central Act No. 34 of 2003), the State Government hereby authorize all Police Officers not below the rank of sub-Inspector, within their respective territorial jurisdiction, to be competent to act under the said Act.

[No. F. 1 (29) M & H/Gr-3/96]

By Order of the Governor,
गुरचरण सिंह सन्धु,
Secretary to the Government.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 19, 2004

एस.ओ. 251-बी:-सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 34) की धारा 28 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, समस्त संयुक्त निदेशक (जोन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारियों और समस्त सहायक औषधि नियंत्रकों को उनकी अपनी-अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 4 या धारा 6 के अधीन किये गये ऐसे अपराध का शमन करने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करती है जिसमें दो सौ रुपये से अनधिक की रकम हो।

[संख्या प. 1 (29)चिस्वा/ग्रुप-3/96]

राज्यपाल के आदेश से,

गुरचरण सिंह सन्धु,

शासन सचिव।

MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT (Gr-3)

NOTIFICATION

Jaipur, November 19, 2004

S. O. 251-B.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 of the Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (Central Act No. 34 of 2003), the State Government hereby authorize all Joint Director (Zone) Medical and Health Services, all Chief Medical and Health Officers, all Principal Medical Officers and all Assistant Drug Controllers, to exercise the powers to compound offence committed under section 4 or section 6 for an amount not exceeding two hundred rupees, within their respective territorial jurisdiction.

[No. F. 1 (29) M & H/Gr-3/96]

By Order of the Governor,

गुरचरण सिंह सन्धु,

Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.